मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर, 1995 (भाद्र 31, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगी.

(2) श्री रत्नेश सॉलोमान, राज्यमंत्री, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट 1962 की धारा 31-ए की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री विक्रम वर्मा, मनोहरलाल राठौर, सदस्य, होशंगाबाद जिले के बाबई स्थित कृषि फार्म को निजी कंपनी को बेचे जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, इन्दौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में एम.बी.ए. छात्रों के प्रवेश निरस्त किये जाने की ओर राज्यमंत्री उच्च शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रामबरन सिंह गुर्जर, सदस्य, मध्यप्रदेश तिलहन संघ के मुरैना स्थित सरसों संयंत्र में अनियमिततायें होने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री नन्द कुमार पटेल, सदस्य, जल संसाधन विभाग के अतिशेष कर्मचारियों को योजना मद से वेतन भुगतान करने से विकास कार्य प्रभावित होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) ठाकुर मोहर सिंह, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम इकबाल गंज में वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री धरमू राय, सदस्य, सागर जिले के खिमलासा रोड पर एक ट्रक में मवेशी पाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) डॉ. कन्हैयालाल शर्मा, सदस्य, रायपुर जिले के कसडोल विधान सभा क्षेत्र के अनेक क्षेत्रों में जंगलों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री रामेश्वर अखण्ड, शिवा कोटवानी, रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, उज्जैन की इन्दौर टेक्सटाइल मिल चालू न किये जाने की ओर राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री रघुनन्दन शर्मा, दिलीप भटेरे, सदस्य, बालाघाट जिले की बैहर उप जेल से दो कैदी फरार होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री ईश्वरदास रोहाणी, दिलीप भटेरे, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, प्रदेश के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेजों में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश देने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री ओंकार प्रसाद तिवारी, मोती कश्यप, रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, सिवनी के एक विधायक के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य, बैरसिया वन परिक्षेत्र अन्तर्गत तेन्दू पत्ता श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इंदौर पुलिस द्वारा जप्त अवैध शराब के कागजातों में हेरा-फेरी किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री दिलीप भटेरे, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम खंडवा में बिजली गिरने से छः व्यक्तियों की मौत होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में भूमि आवंटन में अनियमितता होने की ओर भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, बालाघाट जिले के अनेक ग्रामों में फैली बीमारी से हजारों पशुओं की मौत होने की ओर राज्यमंत्री पशुपालन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) सर्वश्री रामदयाल प्रभाकर, मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम खुर्द में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री चिरौंजीलाल सोनकर, सदस्य, विदिशा जिले के अनेक ग्रामों में एक अपराधी द्वारा आतंक फैलाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम बनवारी की एक पांच वर्षीय बालिका के साथ दुष्कृत्य किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, सीधी जिले के अमलोरी कोयला खदान के बाहर आंदोलनकारी श्रमिकों पर पुलिस द्वारा गोली चालन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, देवास जिले के कन्नौद एवं खातेगांव वन क्षेत्र में पशुओं द्वारा अवैध चराई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम बोरनाज एवं जमोनिया में आदिवासी परिवारों के साथ मारपीट कर उनकी फसलें जलाए जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) डॉ. रामलखन सिंह (भिण्ड), सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम अकोड़ा में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के बम्होरी थानान्तर्गत ग्राम दैरी में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) डॉ. देवचरण सिंह "मधुकर", सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम मस्तूरी के एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, रायसेन के युनाइटेड सोया प्रोडक्ट के प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों का शोषण किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर-भोपाल मार्ग पर बस दुर्घटना के मृतकों के परिवारजनों एवं घायलों को पर्याप्त सहायता न मिल पाने की ओर राज्यमंत्री परिवहन का ध्यान आकर्षित करेंगे.